संख्या- 9/2015/449/61-2015

प्रेषक,

रमाकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 जून,2015

विषय: नव सृजित तहसीलो के फलस्वरूप बढ़े हुए 05 मतदाता पंजीकरण केन्द्रो (V.R.C.) पर ब्राडबैण्ड सुविधायुक्त एक-एक अस्थायी टेलीफोन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-184/61-2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रदेश के तहसील एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्थापित किये गये सभी 415 मतदाता पंजीकरण केन्द्रों (V.R.C.) को सुचारू रूपसे संचालित किये जाने हेतु केन्द्रों पर ब्राडबैण्ड सुविधायुक्त एक-एक अस्थाई टेलीफोन की प्रदान की गई सुविधा को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों को त्रुटिरहित एवं अद्यावधिक बनाये जाने हेतु विधान सभा क्षेत्रवार तथा जिला एवं तहसील स्तर पर खोले गये 415 वी0आर0सी0 में लगे ब्राडबैण्ड सुविधायुक्त 01-01 अस्थाई टेलीफोन को वित्तीय वर्ष 2015-16 तक बनाये रखने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-268/61-2015 दिनांक 22 अप्रैल2015 द्वारा प्रदान की गयी है। तत्क्रम में नव सृजित सहसीलो के फलस्वरूप बढ़े हुए 05 मतदाता पंजीकरण केन्द्रों (V.R.C.)पर ब्राडबैण्ड सुविधायुक्त एक-एक अस्थाई टेलीफोन स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने है।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-13-टेलीफोन पर व्यय" मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-696/दस-2015, दिनांक-16-06-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जाने किये जा रहे है।

भवदीय,
(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 9 /2015/ 449 (1)/61-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्मलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/ महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) ,उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्डबुक।

आज्ञा से,
(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in